

156

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R 437-II/07

प्रकरण क्रमांक

12009 पुनरीक्षण.

रामस्वल्प पुत्र श्री सखू अहीर,
निवासी ग्राम बिलहरी, तेहसील लांडी,
जिला छतरपुर (म०प्र०)

--- आवेदक.

वनाम

कडोरा पुत्र फत्तू अहीर,
निवासी बिलहरी, तेहसील लांडी,
जिला छतरपुर (म०प्र०)

मोहन पुत्र मुडिया अहीर,
मंगू पुत्र मुडिया अहीर,

सौदल पुत्र मुडिया अहीर,
ललियां पुत्री मुडिया अहीर,

महन्ता पुत्री मुडिया अहीर,

समस्त निवासीगण ग्राम बिलहरी,
तेहसील लांडी, जिला छतरपुर (म०प्र०)

--- अनावेदकगण.


पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 40 म०प्र० प्र-राजस्व संहिता 1948
विरुद्ध आदेश दिनांक 25 जुलाई 2006 पारित द्वारा श्री पी०
जी० गिल्लोरे न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग
सागर, म०प्र० अील प्रकरण क्रमांक 3071अ-29।148-45 वरुक्त
कडोरा वनाम रामस्वल्प आदि ।

स. क. श्रीवास्तव एडवोकेट
7-3-07
7/3/07



R
7/4

R 437. II/07 (१०/३५)



18-11-16

10. 11. 16

आपेडक कमि-मी रख के बीपार
 इका अमाउ 1, 2, 4, 5 एवं 6 के अंके
 के मुकेश भागी उपा। अमाउ उ उरक
 के पापके की कामकारी उल्लन करे के
 उमे केतिक अपसा दिया गया। परंतु
 आपेडक खंडके के काम-काज पास रखे
 उम काम। कामकारी-उल्लन के करे के उका
 के इसी एका-पु कामले-किस काम के

18-11-16